संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

भारतीय राजस्व सेवा के 75वें बैच के सभी विशिष्ट अधिकारीगण, इनकम टैक्स में ट्रेनिंग सेंटर के सभी अधिकारीगण, लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, श्री प्रसेनजित सिंह, जो लोक सभा में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये इनकम टैक्स सेवा से हैं और लोक सभा में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मैं आप सभी का इस संसद में स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। देश की और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में सबसे बड़ी विशालता, विविधता, विविध धर्म और विभिन्न संस्कृति का हमारा यह देश है। भारत का संविधान मार्गदर्शक के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। संसद हो चाहे विधान सभा हो, देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के नियम-प्रक्रियाओं से चलती हैं। हमें गर्व है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और सबको न्याय के सिद्धांत पर आधारित यह संविधान हम सबको अपने अधिकारों और दायित्व के लिए सजग करता है। आप जिस सेवा के अधिकारी हैं, वह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। किसी भी युग के अंदर अर्थ तंत्र हमेशा महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इसीलिए, जिस देश का अर्थ तंत्र जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा और जवाबदेह होगा, उतना ही शासन तंत्र सामाजिक जनकल्याण के काम करते हुए लोगों को न्याय और अंतिम व्यक्ति तक की कल्याण की भावनाओं को पूर्ण कर पाएगा।

जहां हमारा पहला बजट 173 करोड़ रुपये का था, 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने हमारे आर्थिक संसाधन जुटाए और इन आर्थिक संसाधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी किए हैं। आज हमारा बजट 40 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। हम शासन-प्रशासन और जनता के सहयोग से अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत कर पाए हैं। पूरी दुनिया में कोविड के कारण विकसित देशों के

सामाजिक-आर्थिक ढांचे में बदलाव आया है। भारत ने भी कोविड का मुकाबला किया है। उसके बाद आर्थिक-सामाजिक और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है एवं पूरे विश्व में भारत मार्गदर्शन की भूमिका अदा कर रहा है।

भारत को यह सम्मान मिला है कि जी-20 देशों का समिट भारत में होने जा रहा है। जी-20 के साथ हमारे सहयोगी देशों को भी इस समिट में आमंत्रित किया जा रहा है। किस तरीके से जो हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, जो वसुधैव कुटुम्बकम् है, सारा विश्व आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो, इसके लिए आने वाले समय में भारत उसका नेतृत्व करेगा और वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा। इसमें आप जैसे अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी ने भारत के आर्थिक तंत्र को मजबूत और पारदर्शी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'वन देश, वन टैक्स' जीएसटी प्रणाली को पारदर्शी तरीके से और व्यापारी, उद्यमी और जितने भी हितकारक हैं, उनके साथ मिलकर इसको सरल और सुगम बनाएंगे।

इसी तरीके से इन्कम टैक्स के अंदर फेसलेस तकनीकी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से टैक्स देने वाले ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करें और जो कर चोरी करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। इसीलिए सरकार ने टैक्स देने वालों का सम्मान किया है, क्योंकि टैक्स देने वालों की इस देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। जिस देश में व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ज्यादा होंगे, तो वहां रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। उस रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जितनी पारदर्शिता होगी, हम उतना ही बेहतर आर्थिक तंत्र स्थापित कर पाएंगे। चाहे कंपनी टैक्सेज़ में हो, चाहे इन्कम टैक्स की पॉलिसी हो, चाहे जीएसटी की पॉलिसी हो, उस पारदर्शिता के कारण ही आज भारत दुनिया का आर्थिक केन्द्र बनता जा रहा है।

आप सब देश की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक संस्था 'संसद' में आए हैं। यहां पर आप इस लोकतंत्र की 75 वर्षों की यात्रा का अध्ययन करेंगे और रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से समय-समय पर

टैक्स पॉलिसीज़ के अन्दर, टैक्स की नीतियों के अन्दर, नियमों तथा कानूनों के अन्दर परिवर्तन किए गए। हर एक कानून तथा हर एक नीति को बनाते समय सरकार की जो मंशा थी, वह भी आपके सामने आएगी। उन नियमों और कानूनों को बनाने में जो डिबेट हुई, संविधान संशोधन करने में जो डिबेट हुई, उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन और रिसर्च से ही आगे भविष्य में आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

आपको इंकम टैक्स के कानून पढ़ने हैं। भारत के संविधान में उन कानूनों के अन्दर कब-कब परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के क्या-क्या कारण थे, सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा था, प्रतिपक्ष ने क्या विषय रखा था, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। भारत के लोकतंत्र की विशेषता सहमति-असहमति, चर्चा-संवाद तथा बेहतर परिणाम और निष्कर्ष के साथ लोगों का कल्याण करना है।

इसी कारण से हर डिबेट में कानून बनते समय, संविधान संशोधन के समय, मानो प्रतिपक्ष ने जो भी आशंका व्यक्त की थी, वह आशंका क्या थी, सरकार ने उस आशंका का कैसे समाधान किया और कई कानून जो सर्वसम्मति से बने, जिसमें सभी दलों की सहमति बनी यानी सारे देश की सहमति बनी, आपको ऐसे कानूनों को अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आप इनकम टैक्स कानून किताब में पढ़ने के साथ बनने वाले प्रेक्टिकल रिसर्च पर जाएंगे तो आप निर्णय करते समय बैस्ट वकील की तरह, बैस्ट जज की तरह न्याय करेंगे। हमारे जीवन में एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि टैक्स देने वाले का सम्मान हो, टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास हो और जो टैक्स की चोरी कर रहा है, उसे रोकने के गंभीरतम प्रयास हो।

हमने अगर इस तरीके के भाव से काम किया तो हम व्यापारी, इंडस्ट्री, सर्विस सैक्टर को और आगे लाने में कामयाब होंगे क्योंकि सैक्टर जैसे इंडस्ट्री हो या आजकल सर्विस सैक्टर के अंदर भी बड़ा काम हो रहा है। हमारे नौजवानों ने बड़े स्टार्ट-अप के रूप में 70,000 से ज्यादा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए हैं, वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया है, भारत में व्यापार और इंडस्ट्री को

सुगम और सरल बनाया है। इसके साथ अंतिम उपभोक्ता तक डिमांड के अनुसार हर वस्तु को पहुंचाना, नए इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, उनको लगे कि रेवेन्यू के अधिकारी केवल टैक्स कलैक्शन के लिए नहीं हैं, बेहतर सलाहकार भी हैं। किस सैक्टर के अंदर कौन सा सैक्टर ग्रोथ कर रहा है, नए लोगों को लाना और सलाह देना कि इस सैक्टर के अंदर दुनिया में ग्रोथ हो रही है, दुनिया में यह डिमांड है, आप इस सैक्टर के अंदर काम करें। मुझे लगता है कि एडवाइजरी के रूप में आप उनको बताएंगे तो वे नई इंडस्ट्री लाएंगे, सर्विस सैक्टर के अंदर कुछ काम लाएंगे, कुछ व्यापारी लाएंगे, कुछ ट्रेनिंग में लाएंगे, आपको इन सब कामों को लाते हुए आर्थिक मजबूती लानी है। हम इस दिशा में काम करेंगे तो बेहतर परिणाम लाएंगे।

आप सबको संसद में धन्यवाद। आप निश्चित रूप से यहां जो सीखेंगे, अनुभव करेंगे, आपका माननीय संसद सदस्यों से, एक्सपर्ट लोगों से चर्चा और संवाद होगा, इससे बेहतर परिणाम निकलेंगे और इससे आपकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। आप तकनीकी रूप से एक्सपर्ट हैं लेकिन आपको व्यावहारिक ज्ञान में यहां की डिबेट और चर्चा से बहुत लाभ मिलेगा।

आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।